



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट- थाना मण्डावर

दिनांक- 12.07.2025

थाना मण्डावर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त को एक अवैध तमन्चे सहित गिरफ्तार किया गया ।

कार्यवाही विवरण:-

आज दिनांक 07/12/2025 को थाना मण्डावर पुलिस टीम द्वारा बालावाली बैरियर पर चेकिंग के दौरान बाइक बजाज सिटी 100 नं0 UK17D8390 पर सवार जब्बाद पुत्र खुशीद निवासी ग्राम सुठारी नहदपुर थाना लक्सर जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड) को एक अवैध तमन्चा 315 बोर मय एक जिन्दा कारतुस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । अवैध शस्त्र बरामदगी के संबंध में थाना मण्डावर पर मु0अ0सं0 272/25 धारा 3/25 आम्स एक्ट पंजीकृत किया गया तथा उपरोक्त मोटर साईकिल को धारा 207 एमवी एक्ट मे सीज किया गया ।



गिरफ्तार अभियुक्त:-

जब्बाद पुत्र खुशीद निवासी ग्राम सुठारी नहदपुर थाना लक्सर जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड) ।

बरामदगी विवरण-

01 अवैध तमन्चा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतुस 315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उनी0 श्री आदेश कुमार थाना मण्डावर बिजनौर
- 2-हे0का0 610 सुशील मलिक थाना मण्डावर बिजनौर
- 3-का0 1008 नीरज कुमार थाना मण्डावर बिजनौर
- 4-का0 78 भगत सिंह थाना मण्डावर बिजनौर
- 5-होमगार्ड 1171 सतपाल थाना मण्डावर बिजनौर



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट- थाना चांदपुर

दिनांक 07.12.2025

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को एक अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरण –

जनपद मे अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन अथवा अपने साथ अवैध शस्त्रों को रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 07.12.2025 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अभि जितेन्द्र कुमार पुत्र हरकेश निवासी ग्राम पाराखालसा थाना मण्डी धनौरा जनपद अमरोहा को एक अवैध चाकू सहित गिरफ्तार । बरामदगी के आधार पर मु0अ0स0 697/2025 धारा 4/25 आमर्स एक्ट पंजीकृत किया गया । अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।



अभियुक्त का नाम पता –

जितेन्द्र कुमार पुत्र हरकेश निवासी ग्राम पाराखालसा थाना मण्डी धनौरा जनपद अमरोहा

बरामद माल का विवरण-

1.एक अवैध चाकू

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- मु0अ0स0 298/23 धारा 379,411,414 भादवि0 थाना मण्डी धनौरा जनपद अमरोहा
- मु0अ0स0 522/23 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना मण्डी धनौरा जनपद अमरोहा
- मु0अ0स0 555/23 धारा 3/25 आमर्स एक्ट थाना मण्डी धनौरा जनपद अमरोहा
- मु0अ0स0 196/24 धारा 3/25 आमर्स एक्ट थाना मण्डी धनौरा जनपद अमरोहा
- मु0अ0स0 697/2025 धारा 4/25 आमर्स एक्ट थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 हरस्वरूप शर्मा थाना चांदपुर बिजनौर ।

2.का0 668 राजकुमार थाना चांदपुर बिजनौर ।



प्रेस नोट

थाना नांगल जनपद बिजनौर

दिनांक 07.12.2025

थाना नांगल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 163/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 06.12.2025 को वादी श्री अवनीत कुमार पुत्र मुन्नु सिंह निवासी ग्राम शहजादपुर थाना नांगल जनपद बिजनौर ने थाना नांगल पर तहरीर दी कि उसके खेतों के नलकूपों से किसी अज्ञात व्यक्ति ने केबिल चोरी कर लिये हैं।

इस सम्बन्ध में थाना नांगल पर मु0अ0सं0-163/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त समीर पुत्र ताहिर उर्फ टेनी निवासी ग्राम व थाना नांगल जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया।



कार्यवाही-

आज दिनांक 07.12.2025 को थाना नांगल पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त समीर पुत्र ताहिर उर्फ टेनी निवासी ग्राम व थाना नांगल जनपद बिजनौर को चोरी किये गये केबिल के चार टुकड़ों सहित गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता –

अभियुक्त समीर पुत्र ताहिर उर्फ टेनी निवासी ग्राम नांगल व थाना नांगल जनपद बिजनौर

बरामदगी-

चोरी किये गये केबिल के चार टुकडे

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- उ0नि0 श्री उपेन्द्र सिंह थाना नांगल जनपद बिजनौर
- का 1074 राजीव थाना नांगल जनपद बिजनौर
- का0 167 आमिर थाना नांगल जपनद बिजनौर



वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान में जनपदीय पुलिस द्वारा 06 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 07.12.2025 को जनपदीय पुलिस द्वारा कुल 06 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1.	रेहड़	1.रहीश पुत्र हनीफ निवासी ग्राम मौहल्ला चांद मस्जिद के पास कस्बा व थाना जसपुर जनपद उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड।
2.	स्योहारा	1.मुकेश कुमार पुत्र भोपाल सिंह निं० ग्राम सबदलपुर थाना स्योहारा जिला बिजनौर।
3.	धामपुर	1.सोनू पुत्र लल्लू निवासी परमावाला थाना धामपुर जिला बिजनौर 2.विरेन्द्र पुत्र कृपाल सिंह निवासी सरकड़ा चकराजमल थाना धामपुर जिला बिजनौर 3.मस्ता पुत्र घसीटा निवासी ग्राम हताई शेख थाना धामपुर जिला बिजनौर 4.आदिल पुत्र तसलीम निवासी हथाई शेख थाना धामपुर जिला बिजनौर

थाना रेहड़



थाना स्योहारा



थाना धामपुर





प्रैस नोट

थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

दिनांक 07.12.2025

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा 165/25 धारा 87/61(2)/70(1)/127(2)/142/61(2)/87 बीएनएस से संबंधित 03 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 29.04.2025 को वादिया ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि अभियुक्त शोएब पुत्र चाँद निवासी ग्राम फैजुल्लापुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर, उसकी पुत्री को बहला-फुसला कर अपने साथी अभियुक्तगण 1.गुल्लू पुत्र चाँद 2.अरुण पुत्र सरजू 3.समीर पुत्र सुनील 4.संजय पुत्र फत्ते निवासीगण उपरोक्त के सहयोग से अपने साथ ले गया है।



इस संबंध में थाना स्योहारा पर मु0अ0स0 165/25 धारा 87/61(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अपहर्ता को सकुशल बरामद किया गया तथा धारा 70(1)/127(2)/142/61(2)/87 बीएनएस की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही-

आज दिनांक 07.12.2025 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्तगण 1-शोएब पुत्र चान्द 2-गोलू उर्फ गुल्लू पुत्र चान्द 3-अरुण पुत्र सरजू निवासीगण ग्राम फैजुल्लापुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- 1.शोएब पुत्र चान्द सिह निवासी ग्राम फैजुल्लापुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 2.गोलू उर्फ गुल्लू पुत्र चान्द निवासी ग्राम फैजुल्लापुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 3.अरुण पुत्र सरजू निवासी ग्राम फैजुल्लापुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1.प्रभारी निरीक्षक श्री संजय कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 2.उ0नि0 श्री हरिओम सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
3. हे0का0 चालक – सतेन्द्र सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 4.का0 1849 मोनू खरव थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 5.का0 310 बब्लू थाना स्योहारा जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना स्योहारा

दिनांक 07.12.2025

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0स0 459/25 धारा 69/351(2)319(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.12.2025 को वादिया द्वारा थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि अभियुक्त फैजान पुत्र नामालूम नि0 ग्राम खुडाहेड़ी थाना मण्डावर जनपद बिजनौर द्वारा अपनी पहचान छुपाकर वादिया को शादी का झांसा देकर गलत कार्य किया गया व वादिया द्वारा मना करने पर फोटो वायरल करने की धमकी दी गई । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0स0 459/25 धारा 69/351(2)319(2) बीएनएस पंजीकृत किया ।

कार्यवाही-



आज दिनांक 07.12.2025 को उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त फैजान पुत्र अहमद निवासी ग्राम खुडाहेड़ी थाना मण्डावर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

फैजान पुत्र अहमद नि0 ग्राम खुडाहेड़ी थाना मण्डावर जिला बिजनौर

आपराधिक इतिहास :-

मुकदमा अपराध संख्या - 459/25 धारा 69/351(2)319(2) बीएनएस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- प्रभारी निरीक्षक श्री संजय कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- उ0नि0 राजेश कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- उ0नि0 प्रदीप कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- उ0नि0 प्रमोद शर्मा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- है0का0 297 नीटू राणा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- है0का0 193 राजू दिवाकर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- का0 1999 सतपाल थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- का0 1849 मोनू थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।



—પ્રેસ નોટ—
રિજર્વ પુલિસ લાઇન બિજનૌર

દિનાંક 07.12.2024

રિજર્વ પુલિસ લાઇન્સ, જનપદ બિજનૌર મેં હોમ્યોપૈથિક ચિકિત્સા પરામર્શ એવં દવા
વિતરણ શિવિર કા આયોજન

વામા સારથી ઉઠોપ્રો પુલિસ ફૈમિલી વેલફેયર એસોસિએશન દ્વારા આયુષ વિભાગ, ઉઠોપ્રો કી સહભાગિતા સે વામા વેલનેસ કેમ્પ કે અન્તર્ગત હોમ્યોપૈથિક ચિકિત્સા પરામર્શ એવં દવા વિતરણ શિવિર કા આયોજન વામા સારથી અધ્યક્ષા શ્રીમતી રિયા ઝા પત્ની શ્રી અભિષેક પુલિસ અધીક્ષક જનપદ બિજનૌર કે નિર્દેશન મેં રિજર્વ પુલિસ લાઇન્સ, બિજનૌર મેં આજ દિનાંક 07.12.2025 કો સમય 09:00 બજે સે 13:00 બજે તક કિયા। જિસમેં પુલિસ પરિવાર કી 40 વર્ષ સે અધિક ઉન્નતિ કી મહિલાઓં કો નિશુલ્ક સ્ત્રી રોગ પરામર્શ એવં પૈપ સ્મીયર વ મૈમોગ્રામ ટેસ્ટ કરાયે જાને હેતુ સ્વાસ્થ્ય પરીક્ષણ કૂપન કાર્ડ જિસકી વૈધતા 31 માર્ચ 2026 તક હૈ, ભી વિતરિત કિયે ગયે। કાર્યક્રમ મેં 90 લાભાન્વિતોં ને શિવિર કા લાભ ઉઠાયા। જિસમેં 40 વર્ષ સે અધિક ઉન્નતિ કી 20 મહિલાઓ કો સ્વાસ્થ્ય પરીક્ષણ કૂપન કાર્ડ વિતરિત કિયે ગયે।

રિજર્વ પુલિસ લાઇન્સ, બિજનૌર મેં હોમ્યોપૈથિક ચિકિત્સા પરામર્શ એવં દવા વિતરણ શિવિર કે આયોજન મેં સુશ્રી આકાંક્ષા ગૌતમ, ક્ષેત્રાધિકારી અપરાધ, શ્રી દેવેન્દ્ર સિંહ સિકરવાર, પ્રતિસાર નિરીક્ષક રિજર્વ પુલિસ લાઇન્સ, બિજનૌર, શ્રી અશોક તોમર ઉઠોપ્રો સ્ટોર્સ, ડૉ. તૈયબ, પ્રભારી ચિકિત્સા અધિકારી, શ્રી વિકાસ ફાર્માસિસ્ટ તથા શ્રી પ્રમોદ વાર્ડબાય ઉપરિસ્થિત રહે।